समाचार

नल कनेक्शन में टुल्लू पम्प के उपयोग पर होगी जप्ती व जुर्माना की कार्यवाही

कोरबा 05 मई 2020 –निगम द्वारा दिए गए नल कनेक्शन में टुल्लू पम्प का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के ऊपर जुर्माना व टुल्लू पम्प को जप्त करने की कार्यवाही निगम द्वारा की जाएगी। आयुक्त श्री राहुल देव ने निगम के फील्ड कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्रों में इसका सतत निरीक्षण करें तथा यदि भवनों के नल कनेक्शन में टुल्लू पम्प का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो टुल्लू पम्प को जप्त कर जुर्माना की कार्यवाही करें।

यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा की जलापूर्ति के समय कुछ क्षेत्रों में अपने बहुमंजिली भवनों में नल कनेक्शन में टुल्लू पम्प का उपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है, बहुमंजिली भवनों में टुल्लू पम्प के उपयोग से प्रदाय किए जा रहे पानी का प्रेशर कम होने से कहीं–कहीं पानी नहीं पहुंचने की शिकायत भी प्राप्त हो रही है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त श्री राहुल देव ने निगम के फील्ड कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में सतत निरीक्षण करें तथा यदि भवनों के नल कनेक्शन में टुल्लू पम्प का उपयोग करते पाया जाता है तो टुल्लू पम्प को जप्त कर जुर्माना की कार्यवाही करें, इसके साथ ही आयुक्त श्री देव ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि नल कनेक्शन में टुल्लू पम्प का उपयोग कदापि न करें एवं यदि किसी भवन में इसके उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है तो वह जानकारी निगम के संबंधित जोन कार्यालय अथवा मुख्य कार्यालय साकेत भवन में दें।